समक्ष

मानननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रधान पीठ),नईदिल्ली

मूल आवेदन संख्या **135/2024**

और

मूल आवेदन संख्या **267/2024**

उपरोक्त प्रकरण में:

खुशबू सिंह.................... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य.................... प्रतिवादी

माननीय न्यायाधिकरण द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांक -10 -01 -2025 तथा 24.10.2024 के अनुपालन में प्रस्तुत

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	**शपथ पत्र द्वारा प्रत्यर्थी/उत्तरदाता संख्या-09** अभिसाक्षी राणा प्रताप सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह निवासी ग्राम-बलनपुर,पोस्ट-जंगीगंज,तहसील-ज्ञानपुर, जिला-संतरविदासनगर (भदोही)	01 — 02
2.	**उत्तर पत्र द्वारा प्रत्यर्थी /उत्तरदाता संख्या-09** राणा प्रताप सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह निवासी ग्राम-बलनपुर, पोस्ट-जंगीगंज, तहसील-ज्ञानपुर, जिला-संतरविदासनगर	03 — 07

क्रमशः 2

4.	<u>अनुलग्नक-आर-2</u> जिला प्रशासन द्वारा निष्पादित रजिस्ट्रीकृत पट्टा विलेख प्रपत्र के कुछ प्रमुख पृष्ठ की प्रति संलग्न है।	13 – 22
5.	<u>अनुलग्नक-आर-3</u> पर्यावरण वन अनापत्ति 'वन अनापत्ति' स्पष्टीकरण प्रपत्रसंख्या-344/ज्ञानपुर/21दिनांक-13 अगस्त 2021संलग्न है।	23
6.	<u>अनुलग्नक-आर-4</u> 'खनन पट्टा निरस्तीकरण आदेश पत्रांक संख्या -147 /खनन लिपिक /2022 दिनांक 05-05-2022संलग्न है।	24 – 25
7.	वकालतनामा	26

गिरधारी प्रसाद पाठक

(गिरधारी प्रसाद पाठक)

प्रत्यर्थी /उत्तरदाता संख्या -10

द्वारा - Srivastava

(चंद्र कुमार श्रीवास्तव)

Adv. Chandra Kumar Srivastava
Enrollment No.- UP00609/92
17, Lawyers Chamber, (Setalvad Block)
The Suprem Court of India (New Delhi)
Email:cosmic.jurisindia@gmail.com
Mob. No.-(91)9013234757/9891265033

अधिवक्ता

17 न्यू लॉयर्स चेम्बर,सीतलवाड ब्लॉक ,,

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली-

मोबाइल-(91)9013234757/ 9891265033

cosmic.jurisindia@gmail.com

दिनांक: 21-05 -2025

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP75554447222600X

Government of Uttar Pradesh

ACC Name-Sukesh Kumar
ACC Add.-Distt. Court G.B. Nagar U.P.
ACC Code-UP14041504
Licence No.-16/08
Mob.-9599315471
Signature........

(1)

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP75554447222600X
Certificate Issued Date	:	05-Jun-2025 03:54 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14041504/ GAUTAMBUDDH NAGAR 2/ UP-GBN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14041504486554327056 33X
Purchased by	:	GRIDHARI PRASAD PATHAK
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	GRIDHARI PRASAD PATHAK
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	GRIDHARI PRASAD PATHAK
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

सत्यमेव जयते

Please write or type below this line

NOTARIAL NOTARIAL

S.N. 243 05/06/25

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
(PRINCIPAL BENCH) NEW DELHI

OA NO. 135/2024 & OA NO. 267/2024

IN THE MATTER OF

KHUSBU SINGH ------- APPLICANT

VERSUS

STATE OF UP & ORS. ---- RESPONDENT

AFFIDAVIT OF RESPONDENT NO-10

GRIDHARI PRASAD PATHAK

गिरधारी प्रसाद पाठक

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

(२)

समक्ष

मानननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रधान पीठ), नई दिल्ली

मूल आवेदन सं.135/2024 तथा मूल आवेदन सं.267/2024

खुशबू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

शपथ पत्र

शपथपत्र द्वारा प्रत्यर्थी / उत्तरदाता संख्या **-10 गिरधारी प्रसाद पाठक (उम्र -लगभग 49 वर्ष**)पुत्र श्री जनार्दन प्रसाद पाठक निवासी ग्राम -महेरा, तहसील- बारा, जिला- प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) आधार क्रमांक **75xx...xxxx..xx04** एवं मोबाइल नंबर-**63xxxxxx72** शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि: -----

1-यह कि इस शपथ पत्र में दिया गया नाम, पता उपरोक्त तथा चश्पा किया गया छाया चित्र मुझ अभिसाक्षी का है, एवं अभिसाक्षी शपथ-पत्र प्रस्तुत करने हेतु सक्षम है ।
(आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न)

2- यह कि अभिसाक्षी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत शपथपत्र के साथ संलग्न उत्तर प्रस्तर 01 से 09 तक में किये गए कथन से भली भांति अवगत हूँ समस्त कथन को इंस शपथपत्र में पुनः उल्लेख करना मात्र शब्दों की पुनरावृति होगी, अतः संलग्न उत्तर प्रस्तर 01 से 09 तक में किया गया कथन इस शपथ पत्र का भाग समझा जाय और शपथ पत्र के रूप में पढ़ा जाए।

अभिसाक्षी

(गिरधारी प्रसाद पाठक)

गिरधारी प्रसाद पाठक

(3)

सत्यापन

मैं अभिसाक्षी / उत्तरदाता संख्या **-10 गिरधारी प्रसाद पाठक** सत्यापित करता हूँ कि इस शपथपत्र उपरोक्त के प्रस्तर **0 1** एवं **02** में किया गया कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सही है। इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है तथा न ही इसमें कोई भी महत्वपूर्ण बात छिपाया गया है, ईश्वर मेरा साक्षी है ।

संलग्नक -यथोपरि।

दिनांक-05-06-2025

अभिसाक्षी
गिरधारी प्रसाद पाठक
(गिरधारी प्रसाद पाठक)

(C.K. Srivastava)
Advocate.

NOTARY Shubhra Srivastav Advocate GOVT OF INDIA

ATTESTED
SHUBHRA SRIVASTAV
Advocate (Notary)
Distt. Goutam Budh Nagar

05 JUN 2025

(4)

भारत सरकार
Government of India

गिरधारी प्रसाद पाठक
Girdhari Prasad Pathak
जन्म तिथि/DOB: 16/12/1976
पुरुष/ MALE

75[redacted]04

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

Address:	पता:
S/O Janardan Prasad Pathak, ,, ,, Mahera, Naganpur, Allahabad, Uttar Pradesh - 212107	S/O जनार्दन प्रसाद पाठक, ,, ,, महेरा, नागनपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश - 212107

75[redacted]04

help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in

NOTARY
Shubhra Srivastav
Notary Advocate
Reg. No. 13365
Validity-2027
G. B. Nagar
GOVT OF INDIA

गिरधारी प्रसाद पाठक

(5)

NOTARIAL NOTARIAL

समक्ष

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रधान पीठ), नई दिल्ली

मूलआवेदन सं. 135/2024 तथा मूलआवेदन सं. 267/2024

मामले में:

खुशबू सिंह ....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ....प्रतिवादी संख्या **-10**

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रधान पीठ), नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक- **24.10.2024** व् 10-01-2025 के अनुपालन में प्रत्यर्थी / उत्तरदाता संख्या **-10 गिरधारी प्रसाद पाठक** पुत्र श्री जनार्दन प्रसाद पाठक निवासी ग्राम - महेरा, तहसील- बारा, जिला- प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) आधार क्रमांक **75xx...xxxx..xx04** एवं मोबाइल नंबर- **63xxxxxx72** द्वारा उत्तर।

S.N. 243+A 05/06/2025

अतीव विनम्रता पूर्वक प्रत्यर्थी / उत्तरदाता संख्या -10 द्वारा उपरोक्त प्रकरण में उत्तर इस प्रकार है-

1- यह कि श्रीमान जिलाधिकारी, भदोही (खनिज अनुभाग) जनपद -संतरविदास नगर, के सूचना दिनांक- **14.02.2025** पत्रांक-**23 /खनन लिपिक /2025** के तहत मुझ प्रत्यर्थी को निम्नलिखित निर्देश जारी किया गया: -

> *"मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं० 135 /2024 व् 267 /2024 खुशबू सिंह बनाम उ०प्र० राज्य व् अन्य में पारित आदेश दिनांक 24-10-2024 व् 10-01-25 में आप को प्रतिवादी बनाया गया है, अतः आप को निर्देशित किया जाता*

गिरधारी प्रसाद पाठक

है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पारित आदेश दिनांक 24-10-2024 व् 10-01-25 का अनुपालन करते हुए दिनांक-18-02-2025 को मा० न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें।"

अनुलग्नक- आर-1 - कार्यालय जिलाधिकारी भदोही खनिज अनुभाग द्वारा निर्गत सूचना प्रपत्र पत्रांक- 23/खनन लिपिक/ 2025 दिनांक 14.02.2025 की प्रति संलग्न है।

2. यह कि उपरोक्त सूचना प्राप्ति के उपरांत प्रत्यर्थी द्वारा प्रयागराज से दिल्ली आने हेतु ट्रेन /बस आदि में टिकट प्राप्त करने का अथक प्रयास किया किन्तु प्रयागराज में आयोजित महाकुम्भ-2025 के कारण किसी भी साधन से यात्रा टिकट प्राप्त न हो पाने और महाकुम्भ-2025 समापन के पश्चात् प्रत्यर्थी के अचानक अत्यधिक अस्वस्थ हो जाने से निर्धारित तिथि पर माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो पाना सम्भव नहीं हो पाया । जिसके लिए प्रत्यर्थी अतीव विनम्रतापूर्वक क्षमा याचना करता है।

प्रत्यर्थी का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत ठीक होने के पश्चात् दिनांक- **21-05-2025** को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया, तो ज्ञात हुआ कि प्रकरण में आगामी दिनांक- **18 जुलाई 2025** की तारीख नियत किया जा चुका है।

3- यह कि प्रत्यर्थी को अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रकरण उपरोक्त के संबंध में जानकारी प्राप्त हुयी। जिसका समुचित उत्तर माननीय न्यायालय के समक्ष ससम्मान प्रस्तुत है।

NOTARY Shubhra Srivastav Advocate 43365 ... 2027 ... Nagar GOVT. OF INDIA

4- यह कि श्रीमान जिलाधिकारी भदोही द्वारा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम-29 के अधीन ई-निविदा-सह-ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से साधारण बालू (गंगा नदी) के खनन पट्टा स्वीकृति दिनांक -06-07-2020 के क्रम में प्रत्यर्थी के पक्ष में अनुबंध

गिरधारी प्रसाद पाठक

दिनांक- 29-12-2020 को **जिला प्रशासन भदोही** द्वारा पट्टा विलेख निष्पादन की कार्यवाही सम्पन्न किया गया, जो उपनिबंधक ज्ञानपुर, भदोही के कार्यालय में बही संख्या-**01** जिल्द संख्या **-3225** के पृष्ठ संख्या **-197 से 288** तक क्रमांक-**3586** पर दिनांक-**29-12-2020** रजिस्ट्रीकृत किया गया।

अनुलग्नक- आर-2- जिला प्रशासन द्वारा निष्पादित रजिस्ट्रीकृत पट्टा विलेख प्रपत्र के कुछ प्रमुख पृष्ठ की प्रति संलग्न है।

5- यह कि जिला प्रशासन भदोही द्वारा निष्पादित रजिस्ट्रीकृत पट्टा विलेख प्रपत्र दिनांकित- **29-12-2020** बही संख्या-**01** जिल्द संख्या **-3225** के पृष्ठ संख्या **-197 से 288** तक क्रमांक-**3586** के अनुक्रम में दिनांक **-01 -01 -2020** से **पांच वर्ष** की अवधि के लिए जनपद भदोही तहसील ज्ञानपुर थाना गोपीगंज के अंतर्गत परगना भदोही में स्थान **ग्राम- पुरवा क्षेत्रफल 4. 047 हेक्टेयर (10.00 एकड़)** जिसकी सीमाएं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम **आ.सं.30 मि.** का शेष भाग निर्धारित किया गया है। तदनुसार खनन संक्रिया आरम्भ किया जाना था।

6-यह कि श्रीमान जिलाधिकारी जनपद भदोही, को सम्बोधित **ग्राम-पुरवा**, तहसील- ज्ञानपुर, जिला-भदोही का गाटा संख्या 30 क्षेत्रफल 10 एकड़ के लिए निर्गत पर्यावरण वन अनापत्ति, प्रभागीय वनाधिकारी, भदोही वन प्रभाग, भदोही द्वारा पूर्व में निर्गत वन अनापत्ति के संबंध में स्पष्टीकरण प्रपत्र संख्या- 344/ज्ञानपुर/21दिनांक-13 अगस्त 2021 के माध्यम से **अनुलग्नक-आर-3** के द्वितीय प्रस्तर के अंतिम लाइनों में किये गए उल्लेख से सुस्पष्ट है ***-"ग्राम पुरवा कछुआ वन्यजीव बिहार के अंतर्गत नहीं आता है"-***

"ग्राम पुरवा तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही का गाटा संख्या 30 क्षेत्रफल 10 एकड़ [N-25-13'-17.13" E-82-20'

NOTARY Shubhra Srivastav Notary Advocate Regd. No. 23365 Validity 2027 GOVT. OF INDIA

गिरधारी प्रसाद पाठक

43.51"] कछुआ बन्य जीव बिहार के क्षेत्र ग्राम बारीपुर उपरवार तहसील ज्ञानपुर जिला भदोही से 16.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो कछुआ वन्यजीव बिहार के अंतर्गत नहीं आता है"

अनुलग्नक-आर-3- 'वन अनापत्ति' स्पष्टीकरण प्रपत्र संख्या-*344/ज्ञानपुर/21दिनांक-13 अगस्त 2021 संलग्न है।*

7- यह कि तत्कालीन जिलाधिकारी भदोही (खनिज अनुभाग) द्वारा विभिन्न कारणों को दर्शाते हुए खनन पट्टा निरस्तीकरण आदेश पत्रांक संख्या -147 /खनन लिपिक /2022 दिनांक **05-05-2022** को खनन संक्रिया स्थगित / रद्द कर दिया गया, जिसके कारण प्रत्यर्थी मानसिक एवं आर्थिक रूप से अत्यधिक हतोत्साहित एवं अवसाद में है।

अनुलग्नक-आर-4- 'खनन पट्टा निरस्तीकरण आदेश पत्रांक संख्या -147 /खनन लिपिक /2022 दिनांक 05-05-2022 संलग्न है।

8- यह कि उपर्युक्त कथनों के दृष्टिगत प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त कथित अवधि के पूर्व अथवा बाद से उक्त क्षेत्र *"ग्राम पुरवा,* तहसील-ज्ञानपुर, जिला- भदोही के अंतर्गत किसी भी प्रकार से बालू खनन कार्य नहीं किया गया और जब उसने बालू खनन आरम्भ किया था, तो वन विभाग की ओर से उचित अनापत्ति एवं जिला प्रशासन भदोही द्वारा विधिवत अनुमोदित था, अतएव प्रस्तुत उपरोक्त प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा विधिक मंशा के अनुरूप ही खनन कार्य आरम्भ किया गया था, प्रत्यर्थी के ओर से विधि विरुद्ध खनन कार्य करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। **प्रत्यर्थी संख्या-10** पूर्णतया निर्दोष है, उसे उपरोक्त संचालित न्यायिक कार्यवाही से मुक्त किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है।

NOTARY Shubhra Srivastav Notary Advocate

गिरधारी प्रसाद पाठक

9- यह कि प्रत्यर्थी स्वयं कानून का पालन करने वाला एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (प्रधान पीठ), नई दिल्ली के समक्ष सम्मानपूर्वक वचन बद्ध है कि वह माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित समस्त आदेशों / निर्देशों का पूर्णतः पालन करेगा तथा यह सुनिश्चित करने का अपना कर्तव्य स्वीकार करता है कि पर्यावरण सुरक्षा उपायों का अक्षरशः तथा सम्पूर्ण भावना से पालन करेगा ।

प्रार्थना

अतः अतीव विनम्रता पूर्वक माननीय न्यायालय से सादर अनुरोध है कि प्रत्यर्थी संख्या-10 को उपरोक्त संचालित न्यायिक कार्यवाही से मुक्त करते हुए, प्रत्यर्थी के हित में अन्य कोई भी अनुतोष जो माननीय न्यायालय की दृष्टि में समुचित हो, आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें ताकि न्याय हो।

NOTARY Shubhra Srivastav Notary Advocate Reg ... Validity-2027 G. B. Nagar GOVT OF INDIA

प्रत्यर्थी
गिरधारी प्रसाद पाठक
(गिरधारी प्रसाद पाठक)

सत्यापन

मैं प्रत्यर्थी / उत्तरदाता संख्या **-10 गिरधारी प्रसाद पाठक सत्यापित** करता हूँ कि प्रस्तुत उत्तर के प्रस्तर **01 से 09** तक में किया गया कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सब सत्य एवं सही है।

दिनांक--- 05-06-2025

प्रत्यर्थी
गिरधारी प्रसाद पाठक
(गिरधारी प्रसाद पाठक)

ATTESTED
SHUBHRA SRIVASTAV
Advocate (Notary)
Distt. Gautam Budh Nagar
05 JUN 2025

अनुलग्नक - आर-1

कार्यालय जिलाधिकारी, भदोही।

(खनिज अनुभाग)

संख्या: 23 /खनन लिपिक/2025 दिनांक 14/02/2025

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली, में योजित ओ0ए0 सं0 135/2024 व 267/2024 खुशबू सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश 10.01.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

श्री गिरधारी प्रसाद पाठक
पुत्र जनार्दन प्रसाद पाठक
निवासी ग्राम महेरा तहसील बारा
जिला प्रयागराज।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली, में योजित ओ0ए0 सं० 135/2024 व 267/2024 खुशबु सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.10.2025 व 10.01.2025 में आपको प्रतिवादी बनाया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पारित आदेश दिनांक 24.10.2024 व 10.01.2025 का अनुपालन करते हुये दिनांक 18.02.2025 को मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें।

(विशाल सिंह),
जिलाधिकारी
भदोही।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि-- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु सादर प्रेषित।

1. कन्सलटेन्ट (ज्यूडिशियल) मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली।
2. सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ।
3. निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 शासन लखनऊ।
4. श्री अंकित वर्मा स्थायी अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली।

जिलाधिकारी
भदोही।

NOTARY Shubhra Srivastava GOVT OF INDIA

ATTESTED
SHUBHRA SRIVASTAV
Advocate (Notary)
Distt. Gautam Budh Nagar

BY SPEEDPOST A.D./EMAIL

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI
Original Application No. 135/2024
Khusbu Singh Vs State of Uttar Pradesh & Ors

To

1. **Rana Pratap Singh**
Son of Gajraj Singh, Resident of Village Balanpur,
Jangi Ganj, Tehsil Gyanpur,
District Bhadhoi-221304 U.P — Respondent No. 9
2. **Girdhari Prasad Pathak**
Resident of Village Mahera, Tehsil Bara,
District Prayagraj-212107 U.P — Respondent No. 10
3. **Vijay Kumar Singh**
Resident of Dubar Kalan Lalgang
District Mirzapur-231211 U.P — Respondent No. 11
4. **M/s Prakash**
Through his proprietor Prakash Chandra Shukla
Son of Lal Chandra Shukla Resident of Village Permanandpur,
Tehsil Handiya, District Prayagraj-221503 U.P — Respondent No. 12
5. **M/s Mahip Construction**
Through his proprietor Shri Mahip Singh
Son of late Shesh Pratap Singh Resident of Bisenkapura,
Post Dahariya Urva, Tehsil Meja.
District Prayagraj-212302 U.P — Respondent No.13
6. **Shrimati Shakuntala**
W/o of Shri Punjab Singh resident of Village Bisenpur,
Post Dahariya, Police Station Meja,
District Prayagraj-212305 U.P — Respondent No. 14
7. **M/s Singh Construction**
Through his proprietor Shri Dheeraj Singh
Son of Shri Kamlakar Singh resident of Village and Post Ghurpur,
Tehsil Bara Distreit Prayagraj-212111 U.P — Respondent No.15
8. **M/s Gyatri Construction**
Through its proprietor Shrimati Gyatri Singh
Resident of Phase-2, Soyepur, Pandeypur
District Varanasi-221001 U.P — Respondent No. 16
9. **Arun Kumar Singh**
Son of Dharmender Pratap Singh Resident of Village Mandakhas,
Police Station Tappa Manda, Tehsil Meja,
District Prayagraj-212302 U.P — Respondent No.17
10. **District Forest Officer, Mirzapur**
Civil Lines Road, Forest Office Road, Mirzapur, Uttar Pradesh 231001
Email: maneeshmittal@gmail.com./pccf-up@nic.in — Respondent No. 20
11. **District Forest Officer, Prayagraj**
E-17/18, Industrial estate, naini, Allahabad, Prayagraj - 211009, Uttar Pradesh
Email: dedi-allbad@dcmsme.gov.in — Respondent No. 21

NOTARY Shubhra Srivastav Advocate GOVT OF INDIA

NOTICE

Whereas the above titled Application was listed before the Hon'ble Tribunal on 10.01.2025 (copy of order & application are enclosed), when the Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):

ATTESTED
SHUBHRA SRIVASTAV
Advocate (Notary)
Distt. Gautam Budh Nagar

(12)

4. Remaining official respondents have been served through email.
5. Response dated 11.12.2024 has been filed by respondent no. 5-DFO Bhadohi (Sant Ravidas Nagar).
6. Responses have not been filed by respondents no. 1 to 4 and 6 to 8 with respect to the questions/aspects referred to in order dated 24.10.2024 passed by this Tribunal.
7. In view of facts and circumstances of the case we consider presence of DFO, Mirzapur and DFO, Prayagraj to be necessary for just and proper adjudication of the questions involved in the case and they are impleaded as respondents no. 18 and 19.
8. The Registry is directed to amend memo of parties to the application and issue notices to respondents no. 18 and 19.
9. Responses by respondents no.1 to 4 and 6 to 8, 18 and 19 may be filed at least 3 days before the next date of hearing fixed.
12. List on 18.02.2025 for further consideration.

_******_

2. Now, take further notice that the above matter will be listed for further consideration before the Hon'ble Tribunal on 18th February, 2025, at **Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001** through physical hearing (with hybrid option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, and file reply/response, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide Order dated 10.01.2025.
3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.
4. Given under my hand and the seal of this Hon'ble Tribunal, on this 22nd January, 2025.
Note: *(For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.greentribunal.gov.in)*

22/1/2025

Consultant (Judicial), NGT

NOTARY Shubhra Srivastav Notary Advocate Regn. No. 13365 Valid 2027 G.B. Nagar GOVT OF INDIA

ATTESTED
SHUBHRA SRIVASTAV
Advocate (Notary)
Distt. Gautam Budh Nagar

(13) अनुलग्नक - आर - 9 **928**

INDIA NON JUDICIAL

IN-UP61163692975865X

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp COPY NO= 1288/2025

Certificate No.	:	IN-UP61163692975865X
Certificate Issued Date	:	28-May-2025 01:00 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14139404/ SANT RAVIDAS NAGAR/ UP-SRV
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14139404198647419184 64X
Purchased by	:	PARAVESH KUMAR DASTAVEJ LEKHAK GYANPUR
Description of Document	:	Article 24 Copy or Extract
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	PARAVESH KUMAR DASTAVEJ LEKHAK GYANPUR
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	PARAVESH KUMAR DASTAVEJ LEKHAK GYANPUR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

Serial No- 181
ACC Name: Raj Bahadur Yadav
CC Code: UP ...
ACC Add ... Gyanpur
Licence No ... District Bhadohi
Mo.No: 979456...
Signature ... Date 28/05/25

Please write or type below this line

यह स्टाम्प नकलसं० 1288/2025 के साथ संलग्न है

NOTARY Shubhra Srivastav Advocate 13365 2027 GOVT. OF INDIA

ATTESTED
SHUBHRA SRIVASTAV
Advocate (Notary)
Distt. Gautam Budh Nagar

929

(14)

I 3586/2020

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 008062

202000998005093

पट्टा अनुबंध विलेख

कार्यालय का नाम : उप निबंधक-ज्ञानपुर

प्रपत्र– एम.एम. 6

खनन के लिए नीलामी पट्टे का आदर्श प्रपत्र–(नियम 29)

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम–29 के अधीन ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से जिलाधिकारी भदोहीद्वारा साधारण बालू (गंगा नदी) के खनन पट्टा स्वीकृति दिनांक 06/07/2020 के क्रम में

NOTARY Shubhra Srivastava Notary Advocate GOVT OF INDIA

पक्ष० पक्ष० सुना० उ०क्रे०

भारद्वाज प्रसाद पाठक

जिलाधिकारी

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)

ATTESTED

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 008063

यह अनुबन्ध आज मंगलवार दिनांक 29-12-2020 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हे आगे "राज्य सरकार" कहा गया है, जिस पदावधि के अन्तर्गत यदि सन्दर्भ से ऐसा ग्राह्य हो, उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती भी समझे जायेगें), एक पक्ष और

NOTARY Shubhra Srivastav Advocate 13365 2027 INDIA

गिरधारी प्रसाद पाठक

जिलाधिकारी
भदोही

अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)

(16)

आवेदन सं०: 202000998005093

पट्टा अनुबंध विलेख

बही सं०: 1 रजिस्ट्रेशन सं०: 3586 वर्ष: 2020

प्रतिफल- 50402975 स्टाम्प शुल्क- 1008060 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 504030 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 220 योग : 504250

गिरधारी प्रसाद पाठक

श्री गिरधारी प्रसाद पाठक,
पुत्र श्री जनार्दन प्रसाद पाठक
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: महेवा,नागनपुर तहसील बारा जिला प्रयागराज-212107,आधार सं० 7576 5995-2804

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 29/12/2020 एवं 03:53:08 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शरदेन्दु मिश्र
उप निबंधक ज्ञानपुर
भदोही
29/12/2020

विजय कुमार श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक

कार्यालय उप निबंधक ज्ञानपुर सत्यमेव जयते भदोही

NOTARY Shubhra Srivastav Notary Advocate Regn. No. 13365 Valid 1.7.2027 G. B. Nagar GOVT. OF INDIA

ATTESTED
SHUBHRA SRIVASTAV
Advocate (Notary)
Distt. Gautam Budh Nagar

(17)

3

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 008064

यदि पट्टेदार व्यक्ति विशेष हो : श्री गिरधारी प्रसाद पाठक पुत्र श्री जनार्दन प्रसाद पाठक निवासी ग्राम महेरा तहसील बारा जिला प्रयागराज (व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावधि के अन्तर्गत, यदि सन्दर्भ से ऐसा ग्राह्य हो उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक तथा प्रतिनिधि भी समझे जायेंगे) दूसरा पक्ष

गिरधारी प्रसाद पाठक

जिलाधिकारी
भदोही

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
भदोही

ATTESTED

SHUBHRA SRIVASTAV
Advocate (Notary)
Distt. Gautam Budh Nagar

(18)

आवेदन सं०: 202000990025993

बही सं० 1 रजिस्ट्रेशन सं० 3586 वर्ष 2020

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि र प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता ।

श्री उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कमलेश कुमार सरोज (वरिष्ठ लिपिक), पुत्र श्री स्व० रामकुमार
निवासी: ग्राम- अकुराम भदोही ,कलेक्ट्रेट, भदोही -221304
व्यवसाय: नौकरी

पट्टा गृहीता ।

श्री गिरधारी प्रसाद पाठक, पुत्र श्री [illegible] प्रसाद पाठक
निवासी: गोरा, नागपुर तहसील बारा जिला प्रयागराज-212107, आधार सं० 7576 5995 2604
व्यवसाय: व्यापार गिरधारी प्रसाद पाठक

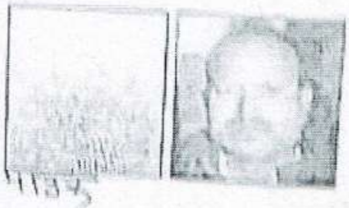

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री [illegible], पुत्र श्री [illegible]
निवासी: [illegible]
[illegible] आधार सं० [illegible]
व्यवसाय: [illegible]
पहचानकर्ता : 2

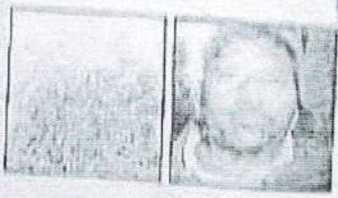

श्री [illegible]
निवासी: [illegible] पुर, [illegible] पोस्ट [illegible] तहसील [illegible] -221304, आधार सं० [illegible]
व्यवसाय: कृषि

ने की । प्रत्यक्षतः [illegible] के निशान [illegible] रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
अंगुठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी: कार्यालय जिलाधिकारी भदोही द्वारा निर्गत पत्र सं० 207/[illegible]/2020 दिनांक 28सितम्बर 2020 द्वारा पंजीकरण हेतु श्री कमलेश कुमार सरोज वरिष्ठ लिपिक को अधिकृत किया गया है।

[illegible] मिश्र
उप निबंधक : ज्ञानपुर
भदोही

विजय कुमार श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक

NOTARY Shubhra Srivastav Advocate [illegible] 13365 [illegible] 2027 GOVT OF [illegible]

ATTESTED
SHUBHRA SRIVASTAV
Advocate (Notary)
Distt. Gautam Budh Nagar

(19)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 008069

उपयोग किया जायेगा जो ऐसी स्वतंत्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हों सिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतंत्रताओं, अधिकार तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्टान्तरित हो जायेगें। दिनांक 01-01-2021 से 05 वर्ष

* वर्ष की आगामी अवधि के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों की

गिरधारी प्रसाद पाठक

पढ़ा सुना

पढ़ा सुना

जिलाधिकारी, भदोही

अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) भदोही

NOTARY Shubhra Srivastav Advocate GOVT. OF INDIA

ATTESTED
SHUBHRA SRIVASTAV
Advocate (Notary)
Distt. Gautam Budh Nagar

935

(२०)

11

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

H 008072

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(ऊपर अभिदिष्ट अनुसूची)

भाग–1

इस पट्टे का क्षेत्र

पट्टे का स्थान और क्षेत्र : यह समस्त भू-खण्ड, जो जिला भदोही के तहसील ज्ञानपुर, थाना गोपीगंज के अन्तर्गत परगना भदोही मे स्थान ग्राम पुरवा पर (क्षेत्र तथा क्षेत्रो का विवरण) स्थित है और उसकी भू-कर सर्वेक्षण संख्या 30 है तथा जिसमें 4.047हे0 (10.00 एकड) क्षेत्रफल है, और जिसका चित्रण इससे संलग्न नक्शे में किया गया है और उसे रंजित (coloured) किया गया है और जिसकी सीमायें निम्नलिखित है :

NOTARY Shubhra Srivastav

गिरधारी प्रसाद पाठक

जिलाधिकारी भदोही

अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०) भदोही

ATTESTED
SHUBHRA SRIVASTAV
Advocate (Notary)
Distt. Gautam Budh Nagar

(21)

96

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

19AE 641162

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से

1–	
2–	
3–	

की उपस्थिति में जिलाधिकारी भदोही द्वारा हस्ताक्षरित

1–	
2–	

की उपस्थिति में पट्टेदार द्वारा हस्ताक्षरित।

गिरधारी प्रसाद पाठक

NOTARY Shubhra Srivastav Notary Advocate GOVT OF INDIA

जिलाधिकारी
भदोही

पत्रा० क०सा० मुन्सी क०स० उ०जि०

अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)
भदोही

पत्रा० क०सा० मुन्सी उ०जि०

ATTESTED
Advocate (Notary)

(22)

आवेदन सं०: 202000998005093

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3225 के पृष्ठ 197 से 288 तक क्रमांक 3586 पर दिनाँक 29/12/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

शरदेन्दु मिश्र
उप निबंधक : ज्ञानपुर
भदोही
29/12/2020

सत्यप्रतिलिपि
उपनिबन्धक
ज्ञानपुर
जनपद भदोही

कार्यालय उप निबन्धक ज्ञानपुर भदोही
सत्यमेव जयते

ATTESTED
SHUBHRA SRIVASTAV
Advocate (Notary)
Distt. Gautam Budh Nagar

अनुलग्नक - ३ **938**

(23)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भदोही वन प्रभाग, भदोही।

पत्रांक- /ज्ञानपुर/20-1, दिनांक, ज्ञानपुर, अगस्त, 13 2021।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
भदोही।

विषय- पूर्व में निर्गत वन अनापत्ति के संबंध में।

सन्दर्भ- खान अधिकारी, भदोही, कार्यालय जिलाधिकारी, भदोही का पत्रांक- 344/खनन लिपिक/2021, दि0 30.7.2021।

महोदय,

खान अधिकारी, भदोही ने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया है कि " उत्तर प्रदेश शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग के निर्गत शासनादेश संख्या-23168/86-2019-57 (सा0)/2017 टी0सी0 1 दिनांक 09.10.2019 के अनुपालन में साधारण बालू के तीन खनन क्षेत्र चिन्हित हैं जिसमें से एक खनन क्षेत्र ग्राम पुरवा स्वीकृत एवं संचालित है एवं दो खनन क्षेत्र ग्राम कुड़ीकला तरी एवं ग्राम इब्राहिमपुर रिक्त है। जिसको 5 वर्ष की अवधि के लिए ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से खनन परिहार स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञप्ति करा दी गयी है।" खान अधिकारी, भदोही ने उक्त पत्र के माध्यम से गंगा नदी में जनपद भदोही और प्रयागराज के मध्य कछुआ सेंचुरी घोषित किया गया है जिसकी बॉउण्ड्री, मानक व निश्चित दूरी के संबंध आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण की जॉच क्षेत्रीय वन अधिकारी, औराई से करायी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी ने अवगत कराया है कि " उक्त खनन क्षेत्र जलमग्न होने के कारण कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किये गये अधिसूचना में उल्लिखित जी0पी0एस0 लोकेशन एवं खनन क्षेत्रों के प्राप्त जी0पी0एस0 लोकेशन को गूगल मैप द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न है) तथा पाया गया कि ग्राम-कुड़ीकला तरी, तहसील-ज्ञानपुर जिला-भदोही का गाटा संख्या-59 क्षेत्रफल में 05.00 एकड़ (N-25°12'57.6" E-82°12'3.5") कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत आता है। इसी प्रकार ग्राम-इब्राहिमपुर, तहसील-ज्ञानपुर जिला-भदोही का गाटा संख्या-103 क्षेत्रफल-10.00 एकड़ (N-25°13'17.5" E-82°20'56.6") कछुआ वन्य जीव विहार के क्षेत्र ग्राम-डारीपुर उपरवार तहसील-ज्ञानपुर, जिला-भदोही से 17.1 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है, जो कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत नहीं आता है, तथा ग्राम-पुरवा तहसील-ज्ञानपुर जिला-भदोही का गाटा संख्या-30 क्षेत्रफल 10.00 एकड़ (N-25°13'17.13" E-82°20'43.51") कछुआ वन्य जीव विहार के क्षेत्र ग्राम-डारीपुर उपरवार तहसील-ज्ञानपुर जिला-भदोही से 18.3 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है जो कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत नहीं आता है।"

इस कार्यालय के पत्रांक-1182/ज्ञानपुर/33-1, दिनांक 18.11.2017 द्वारा तहसील ज्ञानपुर के अन्तर्गत ग्राम-कुड़ीकला तरी, इब्राहिमपुर, पूरवा हेतु वन अनापत्ति निर्गत किया गया था परन्तु उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-4 संख्या-346/81-4-2020-823-2008 टी0सी0 लखनऊ, 17 मार्च, 2020 द्वारा निर्गत अधिसूचना में ग्राम डारीपुर उपरवार, ज्ञानपुर जनपद भदोही से ग्राम-कोठारी, मेजा, जनपद-प्रयागराज के अन्तर्गत गंगा नदी के दोनों तटों से आबद्ध 30 कि0मी0 लम्बाई में फैले क्षेत्र को कछुआ वन्य जीव विहार घोषित किया गया है। गजट संलग्न है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी, औराई द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2017 में तहसील ज्ञानपुर के अन्तर्गत ग्राम-कुड़ीकला तरी, इब्राहिमपुर एवं पूरवा हेतु पूर्व में निर्गत वन अनापत्ति में से ग्राम-कुड़ीकला तरी जो कछुआ वन्य जीव विहार के अन्तर्गत आता है, की वन अनापत्ति निरस्त की जाती है।

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नीरज कुमार आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
भदोही वन प्रभाग, भदोही।

संख्या- 344 (1)/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-खान अधिकारी, भदोही, कार्यालय जिलाधिकारी, भदोही को उनके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(नीरज कुमार आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
भदोही वन प्रभाग, भदोही।

NOTARY
Shubhra Srivastav
Notary & Advocate
Reg. No. 73365
Valid Till 2027
G. B. Nagar
GOVT. OF INDIA

ATTESTED
SHUBHRA SRIVASTAV
Advocate (Notary)
Distt. Gautam Budh Nagar

अनुलग्नक – आर – 4

(24)

कार्यालय जिलाधिकारी, भदोही।
(खनिज अनुभाग)

संख्या / [illegible] खनन लिपिक 2022 [illegible]

खनन पट्टा निरस्तीकरण आदेश

जनपद भदोही के साधारण बालू खनन क्षेत्र तहसील ज्ञानपुर के ग्राम पुरवा गाटा संख्या–30 रकबा 4.047 हैक्टे0 ई–निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से सर्वोच्च बोली रूपया 58/ [illegible] प्रति घनमीटर [illegible] श्री शिवपति प्रसाद पाठक पुत्र श्री जनार्दन प्रसाद पाठक निवासी ग्राम महेरा तहसील बारा जिला प्रयागराज [illegible] प्रस्तुत करने के उपरान्त पट्टा विलेख का निष्पादन दिनांक 29.12.2020 से 05वर्ष के लिये [illegible] किया गया। किन्तु माह नवम्बर 2021 से माह अप्रैल 2022 तक [illegible] तथा समस्त रायल्टी का 02प्रतिशत टी०सी०एस० की धनराशि जमा नहीं किया गया।

उपरोक्त के सम्बध मे समस्त बकाया धनराशि जमा करने के लिये पट्टाधारक को नियमानुसार कार्यालय [illegible] संख्या–74 / खनन लिपिक / 2022 दिनांक 25.03.2022 द्वारा समस्त बकाया धनराशि पत्र प्राप्ति के तीन दिन के अन्दर [illegible] करने हेतु निर्देशित किया गया। किन्तु पट्टाधारक द्वारा इस सम्बध मे न कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही नोटिस मे अंकित धनराशि को जमा कर उसका ट्रेजरी चालान कार्यालय मे प्रस्तुत नहीं किया गया।

यहां यह भी उल्लिखित करना समीचीन होगा कि माह नवम्बर में खनन पट्टाधारक किसी मामले मे वांछित होने के कारण जेल मे निरूद्ध था। जेल से आने पर माह मार्च 2022 में पुनः कार्यालय सम्पर्क स्थापित कर समस्त देय धनराशि जमा करने एवं पट्टे के संचालन की बात पट्टेधारक द्वारा कहा गया एवं जमा करने हेतु समस्त बकाया धनराशि का भी आकलन कराया गया। किन्तु कुछ ही दिन पश्चात् खनन पट्टेधारक कई अन्य अपराधों मे लिप्त होने के कारण प्रथम [illegible] संख्या– 0109 दिनांक 06.04.2022 को उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम 1986 के धारा 3(1) के तहत कार्यवाही की गयी है जिससे पट्टेधारक पुनः जेल मे निरूद्ध है।

उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के अध्याय–7 के नियम–59(1) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस [illegible] प्राधिकृत कोई अधिकारी पट्टेदार पर इस बात की सूचना तामील करने के पश्चात् कि वह सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वामित्व(रायल्टी) सहित पट्टे के अधीन देय कोई धनराशि या [illegible] भाटक का भुगतान करे, यदि उस भुगतान के लिये निश्चित दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उसका भुगतान न किया गया हो तो खनन पट्टा समाप्त कर सकता है। यह अधिकार पट्टेदार से ऐसे देयों को भू–राजस्व के बकाये के रूप मे वसूली करने के राज्य सरकार के अधिकार के अतिरिक्त होगा और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा [illegible]

नियम–59(2) इस नियमावली के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उप नियम(1) के अधीन नोटिस की अवधि की समाप्ति के पश्चात इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार के प्रति देय किसी भाटक स्वामित्व, सामाकन शुल्क और किन्ही अन्य देयों पर 18प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जा सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि जिला मजिस्ट्रेट कुल देय धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि का समायोजन करने के पश्चात अवशेष धनराशि की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करेगा।

नियम–61(1) पट्टेदार द्वारा इन नियमों या पट्टे में दी गयी या दी गयी समझे जाने वाली शर्तों और प्रसंविदाओं के सिवाय उनके जो स्वामित्व, भाटक या राज्य सरकार को देय अन्य धनराशियों के भुगतान से सम्बंधित हो, भंग या उल्लंघन किये जाने की दशा मे राज्य सरकार पट्टेदार को अपना मामला बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् पट्टा समाप्त कर सकती है। यह अधिकार नियम 60 के उपबन्धो के अतिरिक्त होगा और इसका उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नियम–61(2) यदि उपनियम (1) अथवा नियम 59 के अधीन पट्टा समाप्त कर दिया जाता है तो पट्टेदार का नाम जिलाधिकारी द्वारा दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जैसा कि वह उचित समझे काली सूची मे डाल सकता है [illegible] और ऐसी अवधि के दौरान उसको इस नियमावली के अधीन कोई खनिज परिहार अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बध मे यथास्थिति, खनन पट्टे के रजिस्टर मे या नीलाम रजिस्टर के सम्बंधित वाले स्तम्भ मे एक प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी।

NOTARY
Shubhra Srivastava
Notary Advocate
Reg. No. [illegible]
Validity: [illegible] 2027
G. B. Nagar
GOVT OF INDIA

ATTESTED
SHUBHRA SRIVASTAV
Advocate (Notary)
Distt. Gautam Budh Nagar

(25)

उपरोक्तानुसार पट्टाधारक श्री गिरधारी प्रसाद पाठक पुत्र श्री जनार्दन प्रसाद पाठक निवासी ग्राम महेरा [illegible] वारा जिला प्रयागराज को कार्यालय के पत्र संख्या 74 [illegible] 2022 [illegible] बकाया धनराशि को जमा करने हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु पट्टाधारक द्वारा बकाया [illegible] धनराशि जमा नहीं की गयी है। पट्टाधारक द्वारा समस्त देय बकाया किश्त की धनराशि, एवं रायल्टी का 10प्रतिशत डी0एम0एफ0 की धनराशि एव 02प्रतिशत टी0सी0एस0 की धनराशि जमा न किया जाना पट्टाविलेख की उल्लेखित शर्तों एवं उ0प्र0 [illegible] नियमावली 2021 का उल्लघन है। पट्टेधारक द्वारा समय से किश्तो का न जमा किया जाना [illegible] नहीं है।

श्री गिरधारी प्रसाद पाठक पुत्र श्री जनार्दन प्रसाद पाठक निवासी ग्राम महेरा तहसील वारा जिला प्रयागराज के पक्ष में निष्पादित खनन पट्टा के भाग–2 चतुर्थ अनुसूची नियम 27(3) के अनुसार बकाया किश्त व अन्य देय जमा न करने के कारण साधारण बालू खनन क्षेत्र ग्राम पुरवा गाटा संख्या–30 रकबा 4.047 हेक्टे0 स्थित खनन पट्टा दिनांक 01.06.2022 को निरस्त कर दिया गया है। पट्टाधारक श्री गिरधारी प्रसाद पाठक पुत्र श्री जनार्दन प्रसाद पाठक निवासी ग्राम महेरा तहसील वारा जिला प्रयागराज द्वारा प्रथम वर्ष की माह नवम्बर 2021 का मासिक किश्त (10प्रतिशत) रूपया 825588/ तथा द्वितीय वर्ष की प्रथम मासिक किश्त (20प्रतिशत) माह दिसम्बर 2021 की रूपया 1816294/, माह जनवरी 2022 की मासिक किश्त (10प्रतिशत) रूपया 908147/–, माह फरवरी 2022 की मासिक किश्त (10प्रतिशत) रूपया 908147/– माह मार्च 2022 की मासिक किश्त (10प्रतिशत) रूपया 908147/– व माह अप्रैल 2022 की मासिक किश्त (10प्रतिशत) रूपया 908147/– बकाया है। इस प्रकार माह नवम्बर 2021 से माह अप्रैल 2022 तक किश्त का कुल रूपया 6274470/– एवं अवशेष डी0एम0एफ0 की धनराशि रूपया 798476.20/– तथा रायल्टी का 02प्रतिशत टी0सी0एस0 की धनराशि रूपया 274095.24/– को मिलाकर कुल रूपया 7347041.44(तिहत्तर लाख सैंतालिस हजार इकतालिस रूपये चौवालिस पैसा मात्र) बकाया है, में प्रतिभूति धनराशि रूपया 2058570/– को समायोजित करते हुये सम्पूर्ण बकाया धनराशि रूपया 5288471.44(बावन लाख अट्ठासी हजार चार सौ इकहत्तर रूपये चौवालिस पैसा मात्र) है को जारी नोटिस उपरान्त वसूली प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया जाता है एवं निरस्तीकरण/पट्टा समाप्ति के उपरांत उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम–35(3) एवं 35(5) प्रभावित रहेंगे एवं नियम–61(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत श्री गिरधारी प्रसाद पाठक पुत्र श्री जनार्दन प्रसाद पाठक निवासी ग्राम महेरा तहसील वारा जिला प्रयागराज (पैन कार्ड नम्बर–ARZPP9622P आधार नम्बर–757659952804) का नाम 02(दो) वर्ष की अवधि के लिये काली सूची में डाला जाता है।

(आर्यका अखौरी)
जिलाधिकारी
भदोही।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म सचिवालय लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एव खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
3. आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. पुलिस अधीक्षक, भदोही।
6. उपजिलाधिकारी ज्ञानपुर/भदोही/औराई।
7. पुलिस क्षेत्राधिकारी, ज्ञानपुर/भदोही/औराई।
8. श्री गिरधारी प्रसाद पाठक पुत्र श्री जनार्दन प्रसाद पाठक निवासी ग्राम महेरा तहसील वारा जिला प्रयागराज।

जिलाधिकारी
भदोही।

NOTARY
Shubhra Srivastav
Notary Advocate
Reg. No. 5565
Validity 2021
G.B. Nagar
GOVT. OF INDIA

ATTESTED
SHUBHRA SRIVASTAV
Advocate (Notary)
Distt. Gautam Budh Nagar

941

(26)

IN THE COURT OF BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

Suit / Appeal No. OS 135/2024 & 267/2024 JURISDICTION OF 202

In re :-

KHUSBU SINGH — Plaintiff(s) / Appellant(s) Or Petitioner(s) / Complainant(s)

VERSUS

RESPONDENT NO-10

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. Defendant(s) /Respondent(s) / Accused

KNOW ALL to whom these present shall come that I/ We GIRDHARI PRASAD PATHAK S/O SHRI JANARDAN Pd. PATHAK R/O VILL. MAHERA TEHSIL-BARA

The above named SHRI CHANDRA KUMAR SRIVASTAVA Advocate do hereby appoint

₹2 NCT OF DELHI COURT FEE DLCT1934948B2534O 19-FEB-2025

THE SUPREME COURT of INDIA
Mob No. 9013234757

(herein after called the advocate/s) to be my/our Advocate in the above-noted case authorize him:-

To act, appear and plead in the above-noted case in this court or in any other court in which the same may be tried or heard and also in the appellate court including High court subject to payment of fees separately for each court by me/us.

To sign file, verify and present pleadings, appeals cross-objections or petitions for executions review, revision, withdrawal, compromise or other petitions or affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages subject to payment of fees for each stage.

To file and take back documents, to admit and/or deny the documents or opposite party.

To withdraw or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case.

To take execution proceedings on paying separate fee.

To deposit, draw and receive money, cheques, case and grant receipts hereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution on the said case.

₹25 ADVOCATES' WELFARE FUND STAMP BAR COUNCIL OF DELHI 1933773

To appoint and instruct any other Legal Practitioner authorizing him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think fit to do so and to sign the power of attorney on our behalf.

And I/ We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own facts, as if done by me/us to all intents and purpose.

And I/We undertake that I/ We or my/our duly authorised agent would appear in court and all hearings and will inform the Advocate for appearance when the case is called.

And I/We undersigned do hereby agree not to hold the advocate of his substitute responsible for the result of the said case. The adjournment costs whenever ordered by the court shall be of the Advocate which he shall receive and retain for himself.

And I/We undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/us to be paid to the advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settle is only for the above case and above Court. I/We hereby agree that once the fee is paid, I/We will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever and if the case prolongs for more than 3 years the original fee shall be paid again by me/us

IN WITHNESS WHERE OF I/We do hereunto set my/our hand to these presents the contents of which have been undertstood by me / us on this 21st d /of 14 MAY 2025

गिरधारी प्रसाद पाठक

Accepted subject to the terms of the fees

Srivastava
Adv. Chandra Kumar Srivastava
Enrollment No.- UP00609/92
Lawyers Chamber, (Setalvad Block)
The Suprem Court of India (New Delhi)
Email:cosmic.jurisindia@gmail.com
Mob.No.-(91)9013234757/9891265033

Advocate

Client गिरधारी प्रसाद पाठक Client

Identify the Signature/Thumb Impression of the Below Mentioned Person, Who Has been Signed in my presence. The Client.

कार्यालय जिलाधिकारी भदोही।

(खनिज अनुभाग)

संख्या 147/खनन लिपिक/2022 दिनांक 05/05/2022

खनन पट्टा निरस्तीकरण आदेश

जनपद भदोही के साधारण बालू खनन क्षेत्र तहसील ज्ञानपुर के ग्राम पुरवा गाटा संख्या-30 रकबा 4047हेक्टे0 ई- निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से सर्वोच्च बोली रुपया 68/प्रति घनमीटर को स्वीकार करते हुये श्री गिरधारी प्रसाद पाठक पुत्र श्री जनार्दन प्रसाद पाठक निवासी ग्राम महेरा तहसील बारा जिला प्रयागराज द्वारा आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के उपरान्त पट्टा विलेख के निष्पादन दिनांक 29.12.2020 से 5 वर्ष के लिये करते हुये खनन कार्य प्रारम्भ किया गया । किन्तु नवम्बर 2021 से माह अप्रैल 2022 तक खनन पट्टे का किश्त व 10 प्रतिशत डी0एम0एफ0 धनराशि तथा समस्त रायल्टी का 02 प्रतिशत टी0सी0एस0 की धनराशि जमा नही किया गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध में बकाया धनराशि जमा करने के लिये पट्टा धारक को नियमानुसार कार्यालय के पत्र संख्या-74/खनन लिपिक/2022 दिनांक 25.03.2022 द्वारा बकाया धनराशि पत्र प्राप्ति के तीन दिने अन्दर जमा करने हेतु निर्देशित किया गया। किन्तु पट्टाधारक द्वारा इस सम्बन्ध में न कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया और न ही नोटिस मे अंकित धनराशि को जमा कर उसका ट्रेजरी चलान कार्यालय से प्रस्तुत नही किया गया।

यहाँ यह भी उल्लिखित करना समीचीन होगा कि माह नवम्बर से खनन पट्टाधारक किसी मामले मे बाधित होने के कारण जेल से

निरुद्ध था। जेल से आने पर माह मार्च 2022 को पुनः कार्यालय सम्पर्क स्थापित कर समस्त देय धनराशि जमा करने एवं पट्टा के संचालन की बात पट्टेधारक द्वारा कहा गया एवं जमा करने हेतु समस्त बकाया धनराशि का भी आकलन कराया गया। किन्तु कुछ दिन पश्चात खनन-पट्टेधारक कई अन्य अपराधो में लिप्त होने के कारण अपराध संख्या- 0109 दिनांक 06/04/2022 को उ0 प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)अधिनयम 1986 के धारा 3(1) के तहत-कार्यवाही की गयी है जिससे पट्टेदारक पुनः जेल में निरुद्ध है।

उ0 प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के अध्याय-7 के **नियम-59(1)** राज्य सरकार य उसके द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई अधिकारी पट्टेदार पर इस बात की सूचना तामील करने के पश्चात कि यह सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वामित्व (रायल्टी) सहित पट्टे के अधीन देय कोई धनराशि या अपरिहार्य भाटक का भुगतान करे यदि उस भुगतान के लिये निश्चित दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उसका भुगतान न किया गया हो तो खनन पट्टा समाप्त कर सकता है। यह अधिकार पट्टेदार से ऐसे देयों को भू-राजस्व के बकाया के रुप में उसूली करने के राज्य सरकार के अधिकार के अतिरिक्त होगा और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा का उल्लंघन है।

नियमः-59(2) इस नियमावली के उपबुन्धो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उप नियम (1) के अधीन नोटिस की अवधि की समाप्ती के

पश्चात इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार के प्रति देय किसी भाटक स्वामित्व सीमांकन शुल्क और किन्हीं अन्य देय पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जा सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि जिला मजिस्ट्रेट कुल देय धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि काक समायोजन करने के पश्चात अवशेष धनराशि की वसूली हेतु प्रमाण पत्र जारी करेगा।

नियम-61(1) पट्टेदार द्वारा इन नियमों या पट्टे मे दी गयी समझे जाने वाली शर्तो और प्रसंविदाओं के सिवाय उनके जो स्वामित्व भाटक या राज्य सरकार को दये अन्य धनराशियों के भुगताल से सम्बन्धित हो भंग या उल्लंघन किये जाने की दशा में राज्य सरकार पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्तियुक्त होगा इसका उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा।

नियम-61(2) यदि उपनियम (1) अथवा नियंम-59 के अधीन पट्टा समाप्त कर दिया जाता है तो पट्टेदार को नाम जिलाधिकारी द्वारा दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिये जैसा कि वह उचित समझे सूची में डाल सकता है जो विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी और ऐसी अवधि के दौरान उसको इस नियम के अधीन कोई खनिज परिहार अनुमन्य नही होगा। इस सम्बन्ध में यथास्थिति खनन पट्टे के रजिस्टर मे या नीलाम रजिस्टर में या नीलाम के अभियुक्त वाले स्तम्भ मे एक प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी।

उपोरक्तनुसार पट्टाधारक **श्री गिरधारी प्रसाद पुत्र श्री जमादेन प्रसाद पाठक निवासी** ग्राम महेरा तहसील वारा जिला प्रयाराज के

कार्यालय के पत्र संख्या 74/खनन लिपिक/2022 दिनांक 25/03/2022 किश्त या अन्य बकाया धनराशि को जमा करने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु पट्टाधारक द्वारा बकाया देय धनराशि अभी तक जमा नही की गयी है। पट्टाधारक द्वारा समस्त देय बकाया किश्त की धनराशि एव रायल्टी का 10 प्रतिशत डी0एम0एफ0 की धनराशि एव 02 प्रतिशत टी0सी0एस0 की धनराशि जमा न किया जाना पट्टा विलेख की उल्लेखित शर्तो एवं 30 प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 का उल्लघन है। पट्टेधारक द्वारा समय से किश्तो का न जमा किया जाना खनन पट्टे के संचालन में रुचि नही है।

श्री गिरधारी प्रसाद पुत्र श्री जमार्दन प्रसाद पाठक निवासी ग्राम महेरा तहसील बारा जिला प्रयाराज के पक्ष में निष्पादित खनन पट्टा के भाग-2 चतुर्थ अनुसूची नियम 27(3) के अनुसार किश्त व अन्य देय जमा न करने के कारण साधारण बालू खनन क्षेत्र ग्राम पुरवा गाटा संख्या-30 रकबा 4.047 हेक्टे0 स्थित खनन पट्टा दिनांक 01/05/2022 को निरस्त किया गया है। पट्टादारक श्री गिरधारी प्रसाद पाठक पुत्र श्री जनार्दन प्रसाद पाठक निवासी ग्राम महेरा तहसील बारा जिला प्रयाराज द्वारा प्रथम वर्ष की माह नवम्बर 2021 का मासिक किश्त (10 प्रतिशत) रुपया 825588/- तथा द्वितीय वर्ष की प्रथम मासिक किश्त (20 प्रतिशत) माह दिसम्बर 2021 की रुपया 1816294/- माह जनवरी 2022 की मासिक किश्त (10 प्रतिशत) रुपया 908147/- माह फरवरी की मासिक किश्त (10 प्रतिशत) रुपया 908147 रुपया माह मार्च 2022 को मासिक किश्त (10 प्रतिशत)

रुपया 908147/- व माह अप्रैल 2022 की मासिक किश्त (10 प्रतिशत)रुपया 908147/- बकाया है। इस प्रकार माह नवम्बर 2021 से माह अप्रैल 2022 तक किश्त का कुल रुपया 6274470/-एवं अवशेष डी0एम0एफ0 की धशराशि रुपया 798476.20/- तथा रायल्टी का 02 प्रतिशत टी0सी0एस0 की धनराशि रुपया 274095.24/-को मिलाकर कुल रुपया 7347041.44(तिहत्तर लाख सैतालिस हाजर इकतालिस रुपये चौवालिस पैसा मात्र) बकाया है। में प्रतिभूति धनराशि रुपया 2058570/-को समायोजित करते हुये सम्पूर्ण बकाया धनराशि रुपया 5288471.44(बावन लाख अट्ठासी हजार चाल सौ इकहत्तर रुपये चौवालिस पैसा मात्र) है को जारी नोटिस उपरान्त वसूली प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया जाता है एव निरस्तीकरण/पट्टा समाप्ति के उपरान्त उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम-35(3) एवं 35(5) प्रभावित रहेगे एवं नियम-61(2) के प्राविधानो के अन्तर्गत श्री गिरधारी प्रसाद पाठक पुत्र श्री जनार्दन प्रसाद पाठक निवासी ग्राम महेरा तहसील बारा जिला प्रयाराज (पैन कार्ड नम्बर-ARZPP9622P आधार नम्बर- 757659952804) का नाम 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिये काली सूची मे डाला जाता है।

(आर्यका अखौरी)
जिलाधिकारी
भदोही

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यंक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन भूतत्व एवं खनिकर्म सचिवालय लखनऊ।

2- निदेशक भतत्व एव खनिकर्म निदेशालय उ0 प्र0 लखनऊ।

3- आयुक्त विन्याचल मण्डल मीरजापुर।

4- समस्त जिलाधिकारी उ0 प्र0

5- पुलिस अधीक्षक भदोही।

6- उपजिलाधिकारी ज्ञानपुर/भदोही/औराई।

7- पुलिस क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर/भदोही/औराई।

8- श्री गिरधारी पाठक पुत्र श्री जनार्दन प्रसाद पाठक निवासी ग्राम महेरा तहसील बारा जिला प्रयागराज।

जिलाधिकारी
भदोही

//सत्यप्रतिलिपि//